न्यायालय सिविल जज,जू0डि0,भोगनीपुर,कानपुर देहात।

वाद सं ० 202 / 11

श्रीमती राजवेटी बनाम उमानाथ आदि।

09.8.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 34क**2** पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 34क2:–

प्रार्थनापत्र 34क2 वादी की ओर से अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी पी सी सपठित धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त वाद मे माननीय न्यायालय ने मूल्यांकन वाद विन्दु निस्तारित करते हुए आदेश दिनांक 26.2.18 से वाद का मूल्यांकन 25,000 / –रू0 कर दिया है तथा वादिनी को पैरवी करने हेतु आदेशित किया गया है।इस कारण उक्त संशोधन किये जाने का आदेश पारित करते हुए अनुमति प्रदान की जाये।

जिस पर प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नही की गयी।

सुना एव पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद मे माननीय न्यायालय ने मूल्यांकन वाद विन्दु निस्तारित करते हुए आदेश दिनांक 26.2.18 से वाद का मूल्यांकन 25,000 / –रू0 कर दिया है तथा वादिनी को पैरवी करने हेतु आदेशित किया गया है।इस कारण उक्त संशोधन किये जाने का आदेश पारित करते हुए अनुमति प्रदान किये जाने का कथन किया गया है। ऐसे मे संशोधन प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 34क1 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वादी को आदेशित किया जाता है कि उक्त संदर्भ मे संशोधन अंदर सप्ताह करे। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 07.9.2018 को पेश हो।

सिविल जज,जू0डि0,भोगनीपुर,

कानपुर देहात।